शिक्षकों के लिए आदर्श आचार संहिता

ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन (एआईपीटीएफ)

All India Primary Teachers' Federation
24th Biennial Conference
"Code of Professionals Ethics Workshop"
from 1st to 2nd November 2007
Venue: Hotel Doda's, Jaipur, Rajasthan
श्रद्धेय
अखिल
Conference Theme :

भूमिका

शिक्षण कार्य एक आदर्श व्यवसाय है। हर व्यवसाय में कुछ आदर्श नैतिक मानदण्ड होते हैं जिन्हें व्यक्ति को अपने आचरण में उतारना होता है। हर व्यवसाय में, जुड़े लोगों से अपेक्षा की जाती है। जब कोई व्यक्ति समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने पेशेगत व्यवहार का आचरण प्रदर्शित करता है तब उसे उस एक व्यवसाय का आदर्श प्रतिनिधि माना जाता है।

हर व्यवसाय का संगठन अपने सदस्यों के लिए आदर्श आचार संहिता विकसित करता है। यह आदर्श आचार संहिता हर व्यवसाय में अलग–अलग होती है। चिकित्सक अपनी शिक्षा पूरी कर लेने के बाद, चिकित्सा कार्य शुरू करने के पूर्व अपने व्यवसायिक आचार संहिता का पालन करने की शपथ लेता है। हर व्यवसाय की आदर्श आचार संहिता उस व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति और समाज के बीच के आचरण को नियमित करती है।

अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ (दि ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन) ने राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग) के सहयोग से 1997 में शिक्षकों के लिए एक आदर्श आचार संहिता तैयार की। 2005 में हरिद्वार और 2007 में जयपुर में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की सामान्य परिषद (जनरल काउंसिल) की बैठक में इस संहिता को फिर से संशोधित किया गया और इस पर चर्चा की गई। हरिद्वार में प्रस्ताव को सामान्य परिषद द्वारा श्री राम पाल सिंह, अध्यक्ष (प्रेसिडेंट), एआईपीटीएफ की अध्यक्षता में पारित किया गया। जयपुर में सामान्य परिषद के सदस्यों द्वारा इस संहिता को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

इस आदर्श आचार संहिता का पालन शिक्षकों द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षण सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाएगा। इसके अलावा, इस आदर्श आचार संहिता का पालन करने से समाज में शिक्षण की प्रतिष्ठा और स्तर में वृद्धि होगी।

इस आदर्श आचार संहिता का पालन, शिक्षकों द्वारा आत्म–अनुशासन के माध्यम से किया जा सकता है। शिक्षक संघ (संगठन) अपने सदस्यों पर इस संहिता का पालन करने के लिए उनके अपने और उनके विद्यार्थियों के हित में दबाव बना सकते हैं।

इसलिए, मैं अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि वे सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के दृष्टिकोण से इस आदर्श आचार संहिता का अनुशरण करें। इससे बहु–प्रतीक्षित लक्ष्य–सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, की उपलब्धि प्राप्त की जा सकेगी।

मैं, इस आदर्श आचार संहिता को प्रत्येक शिक्षक के लिए सुलभ बनाने के लिए श्री सैम कार्लसन, लीड एजुकेशन स्पेशलिस्ट, वर्ल्ड बैंक के बौद्धिक और वित्तीय सहयोग हेतु उनका आभार व्यक्त करता हूं। इस आदर्श आचार संहिता को अंतिम रूप प्रदान करने में बौद्धिक सहयोग के लिए मैं डॉ. अजीत सिंह, निदेशक, व्यवसायिक विकास कार्यक्रम (प्रोफेशनल डेवेलपमेंट प्रोग्राम) का भी आभारी हूं।

एस. ईश्वरन
महासचिव (सेक्रेटरी जनरल), एआईपीटीएफ

हमारे देश में शिक्षा की गुणवत्ता, विशेषकर प्राथमिक स्तर पर बहुत कमजोर है। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, हमारे समाज में गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि शिक्षा की गुणवत्ता, अनेक कारणों के चलते कमजोर है, लेकिन लोगों के सामान्य नजरिए से शिक्षक ही अधिकतम सीमा तक स्कूली शिक्षा की कमजोर गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसके फलस्वरूप हमारे समाज में शिक्षकों के स्तर और प्रतिष्ठा में पिछले कुछ दशकों के दौरान तेजी से गिरावट आई है। पूर्व में शिक्षकों का स्तर और प्रतिष्ठा काफी ऊंची थी।

शिक्षक के स्तर और प्रतिष्ठा में गिरावट, सभी संबंधित लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, विशेष रूप से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक कार्मिकों का स्तर और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह समझा जा रहा है कि समाज के बच्चों को शिक्षित करने का जो दायित्व शिक्षकों को दिया गया है, उस सेवा की गुणवत्ता को लेकर सामान्य जनता में विश्वास जगाने की जिम्मेदारी शिक्षकों की है। शिक्षा व्यवसाय में प्रवेश करने वाला कोई व्यक्ति, अपने आचरण को नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों के अनुरूप ढालने का दायित्व भी स्वीकार करता है। उसके कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु यह उसके लिए अनिवार्य है।

प्रत्येक व्यवसाय के अपने कुछ मूल्य और आचार नीतियां होते हैं। शिक्षण व्यवसाय के भी अपने आचार हैं। आदर्श आचार संहिता का दृढ़ता से पालन करने से शिक्षकों के स्तर और आत्म–प्रतिष्ठा को बढ़ाने में योगदान किया जा सकता है तथा समाज में इस व्यवसाय के प्रति सम्मान की भावना बढ़ाई जा सकती है। छात्रों, माता–पिता/अभिभावकों, समाज और राष्ट्र, व्यवसाय, सहकर्मियों, प्रबंधन, प्रशासन और व्यवसायिक संगठनों के समक्ष उच्चतम स्तर का नैतिक व्यवहार अवधारित और प्रदर्शित करना शिक्षकों का दायित्व है।

प्रस्तावना

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी के मौलिक अधिकार को मान्यता प्रदान करना,
- इसे मान्यता प्रदान करना, कि शिक्षा, मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास हेतु होनी चाहिए,
- हमारी नीति के निर्देशक सिद्धांतों, जैसे कि लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और पंथनिरपेक्षता के प्रति विश्वास विकसित करने की आवश्यकता को समझना,
- शिक्षा के माध्यम से हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर (विरासत), राष्ट्रीय चेतना, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव और विश्व शांति को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत को मान्यता प्रदान करना,
- इसे मान्यता प्रदान करना, कि शिक्षक, सामाजिक वातावरण का अंग होने के नाते लोगों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को समझते हैं,

- शिक्षण को एक ऐसे व्यवसाय के रूप में विकसित करने की जरूरत को मान्यता प्रदान करना, कि जिसमें विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान, विशिष्टीकृत कौशल (दक्षताएं) और समर्पण भावना, पूर्वापेक्षाएं हो,
- इसे समझना, कि सामुदायिक सम्मान और शिक्षण समुदाय के लिए सहयोग भावना, शिक्षण की गुणवत्ता तथा शिक्षण व्यवसाय के प्रति शिक्षकों के दृष्टिकोण पर निर्भर हैं, तथा
- शिक्षण समुदाय के सदस्यों में आत्म–निर्देशन तथा आत्म–अनुशासन की जरूरत को समझना।

आदर्श आचार संहिता के तत्व

क. विद्यार्थियों के संदर्भ में शिक्षक

शिक्षक ऐसा करेंगे:

1. संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (1989) में निर्दिष्ट किए गए प्राविधानों के लाभ प्राप्त करने के लिए सभी बच्चों के अधिकारों विशेषकर शिक्षा पर लागू होने वाले अधिकारों का सम्मान करेंगे,
2. अपने विद्यार्थियों के बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास (संवृद्धि) हेतु सदैव प्रयास करेंगे,
3. सभी विद्यार्थियों से प्रेम और वात्सल्यपूर्ण व्यवहार करेंगे और उनकी जाति, वंश, लिंग, स्थिति, धर्म, भाषा और जन्म–स्थान से पृथक (निरपेक्ष) रहते हुए न्यायी एवं निष्पक्ष रहेंगे,
4. किसी विद्यार्थी से संबंधित गोपनीय प्रकृति की जानकारी को उस विद्यार्थी के अभिभावकों या विधिक रूप से अधिकृत किसी व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य के समक्ष प्रकट नहीं करेंगे,
5. शिक्षक और उसके विद्यार्थियों के मध्य विशेषाधिकार प्राप्त संबंध का दुरूपयोग नहीं करेंगे,
6. अपने विद्यार्थियों के नैतिक एवं धार्मिक विश्वासों का सम्मान करेंगे,
7. अपने विद्यार्थियों को लैंगिक दुर्व्यवहार या एचआईवी/एड्स से संक्रमित होने से सुरक्षित रखने के लिए सभी संभव कदम उठाएंगे, तथा
8. पहनावे और व्यवहार का एक उपयुक्त अनुकरणीय उदाहरण अपने विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

ख. माता–पिता/अभिभावकों के संदर्भ में शिक्षक

शिक्षक ऐसा करेंगे:

1. माता–पिता को उनके बच्चे की प्रगति जानने के अधिकारों को मान्यता प्रदान करेंगे,
2. माता–पिता से हार्दिक संबंध स्थापित करके बनाए रखेंगे और उनके पाल्य के सीखने संबंधी परिणामों (शिक्षण अधिगमों) में सुधार तथा स्कूल की कार्यशैली में सुधार हेतु उनका सहयोग लेंगे, तथा

3. कुछ भी ऐसा करने से बचेंगे, जो विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को उनके माता–पिता या अभिभावक के समक्ष कम करता हो।

ग. समाज और राष्ट्र के संदर्भ में शिक्षक

शिक्षक ऐसा करेंगे:

1. सामाजिक समस्याओं को समझने और इन समस्याओं द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के समाधान हेतु उपयुक्त (व्यावहारिक) क्रियाकलापों में भाग लेने के प्रयास करेंगे,
2. ऐसे क्रियाकलापों में भाग लेने से बचेंगे जिनके द्वारा विभिन्न समुदायों, धार्मिक और भाषाई समूहों के मध्य घृणा या शत्रुता (वैमनस्य) फैलने की संभावना हो,
3. स्कूल, समुदाय, राज्य और राष्ट्र के प्रति निष्ठावान रहेंगे,
4. अपने विद्यार्थियों में वांछनीय (अपेक्षित) मानवीय मूल्यों का समावेशन करेंगे,
5. राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत बनाएंगे, तथा
6. संविधान द्वारा निर्धारित मौलिक कर्तव्यों को निभाने के लिए अपने विद्यार्थियों को प्रेरित करेंगे।

घ. व्यवसाय और सहकर्मियों के संदर्भ में शिक्षक

शिक्षक ऐसा करेंगे:

1. सभी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके जनता का भरोसा और विश्वास अर्जित करेंगे,
2. विषय (विषयों) के बारे में अपने ज्ञान को निरंतर अद्यतन (नवीनीकृत) करेंगे और शिक्षण की अपनी स्पर्धी योग्यता को निरंतर बेहतर रूप प्रदान करेंगे,
3. आदर्श व्यवसायिक मानसिकता (दृष्टिकोण या सोच) को विकसित करेंगे,
4. पढ़ाए जाने वाले पाठ की समुचित तैयारी करने के बाद सदैव पाठ्यक्रम को प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित करेंगे,
5. अपने सहकर्मियों के बारे में अपमानजनक (अनादरपूर्ण) टिप्पणियां करने से, विशेषकर छात्रों, अन्य शिक्षकों, कर्मचारियों या अभिभावकों की उपस्थिति में सदैव बचेंगे,
6. संस्थान के प्रमुख (प्रधान) तथा सहकर्मियों से, संस्थान में तथा इसके बाहर भी पाठ्यक्रम संबंधी व पाठ्येत्तर दोनों प्रकार की गतिविधियों में सहयोग करेंगे,
7. सहकर्मियों के व्यवसायिक दृष्टिकोणों व भावनाओं का सम्मान करते हुए आपस में सहयोगी भावना (सहधर्मिता) को बढ़ावा देंगे,
8. सहकर्मियों के हितों और बेहतरी को सुरक्षित रखते हुए बढ़ावा देंगे,
9. शिक्षण व्यवसाय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे,

10. शिक्षण व्यवसाय के अन्य सदस्यों से उसी भांति व्यवहार करेंगे, जैसा व्यवहार वे अपने लिए चाहते हों, तथा
11. अपने सहकर्मियों के विरूद्ध निराधार आरोप लगाने से बचेंगे।

ङ. प्रबंधन के संदर्भ में शिक्षक

शिक्षक ऐसा करेंगे:

1. अपने विधिक (कानूनी) और प्रशासनिक अधिकारों तथा प्रबंधन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक रहेंगे,
2. प्रबंधन के व्यक्तियों के विधि सम्मत निर्देशों का अनुपालन करेंगे और इन निर्देशों के बारे में, सुस्पष्ट निर्धारित प्रक्रिया तथा माध्यम (चैनल) द्वारा प्रश्न पूछने का अधिकार रखेंगे, तथा
3. अपने व्यवसायिक क्रियाकलापों और कार्यपरिणामों द्वारा पारस्परिक सम्मान और विश्वास का विकास करेंगे।

च. शिक्षक संघ (टीचर्स एसोसिएशन) के संदर्भ में शिक्षक

शिक्षक ऐसा करेंगे:

1. राज्यीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक संघ के सदस्य बनेंगे। वे इसे अपने व्यवसायिक उत्तरदायित्व की भांति देखेंगे,
2. अपने व्यवसायिक विकास (संवृद्धि) के लिए, और संघ की मजबूती तथा इसकी एकता व एकात्मता (भातृत्व) को बल प्रदान करने के लिए शिक्षक संघ द्वारा आयोजित क्रियाकलापों में भागीदारी करेंगे,
3. संघ के क्रियाकलापों की आलोचना करते समय रचनात्मक रहेंगे, तथा
4. शिक्षक संघ में इसके विकास हेतु परिवर्तनों को बढ़ावा देंगे।

अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ
24वें द्विवार्षिक सम्मेलन, जयपुर
के सम्मेलन में आदर्श आचार संहिता को सर्वसम्मति
से अनुमोदित किया गया
दिनांक: 03 तथा 04 नवम्बर, 2007

कार्य में एकता (सॉलिडेरिटी इन एक्शन)

अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ (ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन–एआईपीटीएफ)
शिक्षक भवन, 41–सांस्थानिक क्षेत्र
डी–ब्लॉक, जनकपुरी, नयी दिल्ली–110058
टेलीफोनः (91–11) 28520671, 28522039 फैक्सः 28525271
ई–मेलः aiptfindia@yahoo.com